

# MSOS INFRASTRUCTURE SHARING GUIDELINES

*Government's New Policy Guidelines for Sharing of Infrastructure By MSOs will provide a fillip to growing the business in the CATV Sector.*

TRAI's recommendations on "Sharing of Infrastructure in Television Broadcasting Distribution Sector" dated 29/03/2017 by the competent authority, the sharing of infrastructure by Multi-System Operators is permitted as per the enclosed guidelines.

- ◆ Wherever technically feasible, the MSO may share infrastructure with another MSO on voluntary basis. While sharing the infrastructure with another MSO, the responsibility of compliance to the relevant Acts/ rules/ regulations/license/ orders/ directions/ guidelines would continue to be of each MSO independently.
- ◆ The existing condition of MSO's permission / registration "You shall have an independent digital head-end of your own and shall provide digital addressable cable TV services for all channels, satellite or local, only from your own head-end" is deemed to be modified to the extent to allow sharing of headend as follows : "In case, the head-end and other infrastructure i.e. CAS and SMS hardware is shared, on voluntary basis, with the other MSO, the guidelines issued by MIB regarding sharing of infrastructure shall be followed".
- ◆ Each MSO should undertake to ensure encryption of signals and addressability of subscribers in all circumstances; and to provide access of the all the systems and the networks, used to provide broadcasting distribution network services, to the concerned broadcasters for the purpose of audit as per the regulations and the authorized officers of the



**Telecom Regulatory Authority of India**  
(IS/ISO 9001-2008 Certified Organisation)

## एमएसओ इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग दिशानिर्देश

*एमएसओ द्वारा बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए सरकार के नये नीति दिशानिर्देश सीएटीवी क्षेत्र में व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा।*

जहां कहीं भी तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो, एमएसओ स्वैच्छिक आधार पर किसी अन्य एमएसओ के साथ बुनियादी ढांचे को साझा कर सकता है। किसी अन्य एमएसओ के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करते समय, प्रासंगिक अधिनियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी स्वतंत्र रूप से प्रत्येक एमएसओ की बनी रहेगी।

- ◆ जहां कहीं भी तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो, एमएसओ स्वैच्छिक आधार पर किसी अन्य एमएसओ के साथ बुनियादी ढांचे को साझा कर सकता है। किसी अन्य एमएसओ के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करते समय, प्रासंगिक अधिनियमों / नियमों / विनियमों / लाइसेंस / आदेशों / निर्देशों / दिशानिर्देशों के अनुपालन की जिम्मेदारी स्वतंत्र रूप से प्रत्येक एमएसओ की बनी रहेगी।

- ◆ एमएसओ की अनुमति / पंजीकरण की मौजूदा शर्त 'आपके पास खुदका एक स्वतंत्र डिजिटल हेडएंड होगा और सभी चैनलों, सैटेलाइट या स्थानीय के लिए केवल आपके अपने हेडएंड से डिजिटल

एड्रेसेबल केवल टीवी सेवाएं प्रदान करेगा, को निम्न रूप में हेडएंड को साझा करने की अनुमति देने के लिए इस हद तक संशोधित किया जायेगा: 'यदि हेडएंड और अन्य बुनियादी ढांचे यानी सीएस और एसएमएस हार्डवेयर को स्वैच्छिक आधार पर अन्य एमएसओ के साथ साझा किया जाता है, तो बुनियादी ढांचे को साझा करने के संबंध में एमआईवी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जायेगा।'

- ◆ प्रत्येक एमएसओ को सभी परिस्थितियों में सिग्नलों के एन्क्रिप्शन और सब्सक्राइबर्स की एड्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने का वचन देना चाहिए, और सभी प्रणालियों और नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करने के लिए, संबंधित प्रसारकों और सरकारों के अधिकृत अधिकारियों

## POLICY GUIDELINES

Governments and their representatives whenever demanded.

- ◆ On voluntary basis, sharing of head-end used for Cable TV services & transport streams transmitting signals of TV channels, among MSOs, is permitted
- ◆ MSO, willing to share its transport stream of TV channels with another MSO, should ensure that the latter MSO has valid written interconnection agreements with concerned broadcasters for distribution of pay TV channels to the subscribers.
- ◆ MSOs may share the common hardware for their SMS applications. The details of such arrangements should be reported to the MIB, the TRAI, and the concerned broadcasters, 30 days in advance.
- ◆ MSOs may share the common hardware for their CAS applications. The details of such arrangements should be reported to the MIB, the TRAI, and the concerned broadcasters, 30 days in advance.
- ◆ Each MSO shall be accountable for ensuring the integrity and security of the CAS and the SMS data pertaining to such distributor.
- ◆ Each MSO shall maintain the backup of transaction logs and data of the CAS and the SMS, on near real time basis, for at least past two years, at any point of time, on a secondary storage device.
- ◆ Each MSO shall undertake to provide access of the CAS and the SMS, used to provide broadcasting distribution network services, to the concerned broadcasters for the purpose of audit as per the regulations and the authorized officers of the Governments and their representatives whenever demanded.
- ◆ Each MSO sharing its infrastructure and transport streams of TV channels with other MSO, should set up systems and processes which ensure that the broadcasters are able to exercise their right of disconnection of signals in case of default of payment or due to any other reason, in terms of the interconnection agreement entered into between the



सत्यमेव जयते

Ministry of Information and Broadcasting

और उनके प्रतिनिधियों को जब भी मांग की जाती है, प्रसारण वितरण नेटवर्क सेवायें प्रदान करते हैं।

- ◆ स्वैच्छिक आधार पर केबल टीवी सेवाओं और टीवी चैनलों के सिगनलों को प्रसारित करने वाली ट्रांसपोर्ट स्ट्रीमों के लिए उपयोग किये जाने वाले हेडएंड को एमएसओ के बीच साझा करने की अनुमति है।
- ◆ एमएसओ, टीवी चैनलों के अपने ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम को किसी अन्य एमएसओ के साथ साझा करने को ईच्छुक हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाद वाले एमएसओ के पास सबक्राइवरों को पे टीवी चैनलों के वितरण के लिए संबंधित प्रसारकों के साथ वैध लिखित इंटरकनेक्शन समझौते हैं।
  - ◆ एमएसओ अपने एसएमएस आवेदनों के लिए सामान्य हार्डवेयर साझा कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं का विवरण एमआईबी, ट्राई और संबंधित प्रसारकों को 30 दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए।
  - ◆ एमएसओ अपने सीएसएस आवेदनों के लिए सामान्य हार्डवेयर साझा कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं का विवरण एमआईबी, ट्राई और संबंधित प्रसारकों को 30 दिन पहले सूचित किया जाना चाहिए।
- ◆ प्रत्येक एमएसओ सीएसएस की प्रमाणिकता और सुरक्षा और ऐसे वितरक से संबंधित एसएमएस डेटा को सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह होगा।
- ◆ प्रत्येक एमएसओ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर किसी भी समय, कम से कम पिछले दो वर्षों के लिए, वास्तविक समय के आधार पर सीएसएस और एसएमएस के लेनदेन लॉग और डेटा का बैकअप बनाये रखेगा।
- ◆ प्रत्येक एमएसओ, जब भी मांग की जाती है, विनियमों और सरकारों के अधिकृत अधिकारियों और उनके प्रतिनिधियों के अनुसार ऑडिट के उद्देश्य से संबंधित प्रसारकों को प्रसारण वितरण नेटवर्क सेवायें प्रदान करने के लिए उपयोग किये जाने वाले सीएसएस और एसएमएस की पहुंच प्रदान करने का वचन देगा।
- ◆ प्रत्येक एमएसओ अन्य एमएसओ के साथ टीवी चैनलों के अपने बुनियादी ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम को साझा करता है, उन्हें सिस्टम और प्रक्रियायें स्थापित करनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करती है कि प्रसारक भुगतान की चूक के मामले में या प्रसारकों और वितरकों के बीच किये गये इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट और संबंधित

## POLICY GUIDELINES

broadcaster and the distributor and the relevant regulations in place.

- ◆ MSOs sharing the infrastructure, should put in place necessary technical arrangements for detecting the specific pirate in the unlikely event of any such incidence, and satisfy the broadcaster's reasonable concerns at the time of initial audit itself.
- ◆ For infrastructure sharing the new applicant and existing licensee will jointly submit a detailed proposal for infrastructure sharing giving details of the infrastructure proposed to be shared and in the manner infrastructure is proposed to be shared as well as roles and responsibilities of each to Min. of I&B. The proposal should contain:
  - ❖ Acceptance from all concerned stakeholders for sharing the infrastructure.
  - ❖ Copies of the Agreements between the parties sharing the infrastructure with conditions stipulated in the guidelines.
  - ❖ An undertaking by both the parties proposing to share the infrastructure that under the sharing arrangement proposed, there will not be any violation of the underlying terms and conditions of the license granted.
- ◆ To ensure continuity of service to subscribers in the event of any disaster, the operator should have arrangement of sharing disaster recovery system in hotstandby mode.
- ◆ MSO providing DAS service using the shared infrastructure with another operator can establish, maintain and operate its own MSO/DAS platform at a later stage within the license validity period, following due procedures.
- ◆ The adherence and compliance to all the provisions of the rules and guidelines issued by MIB for grant of license to the MSO operator will be the responsibility of the existing operator and the new applicant proposing to share the infrastructure to the extent as may be required / applicable individually.
- ◆ Compliance to TRAI regulation pertaining to CAS/SMS, finger printing, STB as per Schedule III of the regulation will be the responsibility of the respective operator individually to ensure proper reporting of subscriber's base, checking unauthorized distribution and piracy. ■

विनियमों के संदर्भ में या किसी अन्य कारण से सिग्नल को डिस्कनेक्ट करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम है।

- ◆ बुनियादी ढांचे को साझा करने वाले एमएसओ को ऐसी किसी भी घटना की संभावित घटना में विशिष्ट पाइरेट का पता लगाने के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था करनी चाहिए और प्रारंभिक ऑडिट के समय ही प्रसारक की उचित चिंताओं को पूरा करना चाहिए।
- ◆ बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए नये आवेदक और मौजूदा लाइसेंसधारक संयुक्त रूप से बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जिसमें साझा किये जाने के लिए प्रस्तावित बुनियादी ढांचे का विवरण होगा और जिस तरह से बुनियादी ढांचे को साझा करने का प्रस्ताव है, साथ ही प्रत्येक की भूमिकाओं साथ ही साथ आई एंड बी मंत्री के लिए प्रत्येक की भूमिकाओं और जिम्मेदारियां शामिल है। प्रस्ताव में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:
  - ❖ बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों से स्वीकृति।
  - ❖ दिशा-निर्देशों में निर्धारित शर्तों के साथ बुनियादी ढांचे को साझा करने वाले पक्षों के बीच समझौतों की प्रतियां।
  - ❖ दोनों पक्षों द्वारा एक वचनबद्धता जो बुनियादी ढांचे को साझा करने का प्रस्ताव करती है कि प्रस्तावित साझाकरण व्यवस्था के तहत दिये गये लाइसेंस के नियमों और शर्तों का उल्लंघन नहीं होगा।
- ◆ किसी भी आपदा की स्थिति में ग्राहकों की सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेटरों के पास हॉट-स्टैंडबाय मोड में आपदा रिकवरी सिस्टम को साझा करने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- ◆ एमएसओ किसी अन्य ऑपरेटर के साथ साझा बुनियादी ढांचे का उपयोग करके डीएस सेवा प्रदान कर रहा है, बाद में लाइसेंस वैधता की अवधि के भीतर, उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, अपने स्वयं के एमएसओ/डीएस प्लेटफॉर्म की स्थापना, रखरखाव और संचालन कर सकता है।
- ◆ एमएसओ ऑपरेटरों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए एमआईवी द्वारा जारी नियमों और दिशानिर्देशों के सभी प्रावधानों का पालन और अनुपालन मौजूदा ऑपरेटर और नया आवेदक जो व्यक्तिगत रूप से आवश्यक/लागू होने की सीमा तक बुनियादी ढांचे को साझा करने का प्रस्ताव करता है।
- ◆ नियमों की अनुसूची III के अनुसार सीएसएस/एसएमएस, फिंगर प्रिंटिंग, एसटीबी से संबंधित ट्राई विनियमन का अनुपालन, ग्राहक के आधार का उचित रिपोर्टिंग, अनधिकृत वितरण और पाइरेसी की जांच सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से संबंधित ऑपरेटर की जिम्मेदारी होगी। ■